

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे। 84

जयपुर, 25.09.2020


आदेश

विषय —कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

पूर्व में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये एवं कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की गई थी जो 31 मार्च 2020 तक प्रभावी थी।


कोविड-2019 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए कृषि उपभोक्ताओं के लिए "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को 31 दिसम्बर 2020 तक लागू किया जाता है। इसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा के अनुसार बिना किसी पेनल्टी राशि के मात्र धरोहर राशि (रूपये 30 प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से 02 माह के लिए) जमा करवाकर नियमित करवा सकेंगे।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों में लागू होगा।


25.9.20
(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
2. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।


अध्यक्ष डिस्कॉम्स